2/1/18 मूलवाद में प्रार्थना-पत्र निरस्त तथा वाद पत्र विक्रय किये जाने का पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व विपक्षी: वादी का वाद विक्रय किये जा चुका है अतः TJ प्रा० पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल होकर नकल के बाद वापस जावत शामिल मूलवाद हो।

सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक) निवाई